# फॉर्म बी

**सार्वजनिक सूचना**

**(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड**

**(परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अंतर्गत)**

## नाइस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

| क्र.सं. | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1. | कॉर्पोरेट देनदार का नाम | **नाइस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड** |
| 2. | कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 27.04.2004 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/ पंजीकृत है | कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनियाँ, दिल्ली |
| 4. | कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या | U45201DL2004PLC126075 |
| 5. | कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता | सी–56ए, कालकाजी, नई दिल्ली, भारत, 110019 |
| 6. | दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि | 16.12.2023 (16 दिसंबर 2023) |
| 7. | कॉरपोरेट देनदार के संबंध में परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि | 30.04.2024 (30 अप्रैल 2024) सूचना की तिथि 15.05.2024 |
| 8. | परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या | नामः विवेक पार्टी<br>पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-PO0813/2017-2018/11376 |
| 9. | बोर्ड के साथ पंजीकृत परिसमापक का पता और ई–मेल | ए–166, दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024 दिल्ली<br>ईमेलः v_parti@yahoo.com<br>14.06.2024 (14 जून 2024) |
| 10. | परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल | ए–166, दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024 दिल्ली<br>ईमेलः liq.niceprojects@gmail.com |
| 11. | दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 14.06.2024 (14 जून 2024) |

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (नई दिल्ली पीठ II) ने 30.04.2024 (सूचना की तिथि 15.05.2024 ) को नाइस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

नाइस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के हितधारकों को एतद्वारा प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक को 14.06.2024 को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

यदि कोई हितधारक परिसमापन प्रक्रिया के दौरान अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसे हितधारक द्वारा भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किया गया ऐसा दावा माना धारा 38 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा।

**हस्ता. /–**

**दिनांक: 18.05.2024**

**विवेक पार्टी**

**स्थान : नई दिल्ली**

**परिसमापक**